मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या २३४/२०१८
श्रीमती रुकिया पत्नी स्व. श्री मोहन उम्र ६५ वर्ष निवासी कड़ोरे का डेरा सिमरधा, झाँसी
------------याचिया

प्रति

१. अनीस खाँ तनय श्री नजीर खाँ निवासी ७३७ सिविल लाईन वार्ड नं.१ शोभा नगर बीड़ी कॉलोनी दवोह, म.प्र.
.... मालिक कार सं.एम.पी.३४ सी ए १९५२

२. राजेश यादव पुत्र हरीश चन्द्र यादव निवासी मुकेश कॉलोनी सिविल लाईन वार्ड नं.६ दवोह, म.प्र.
.... चालक कार सं.एम.पी.३४ सी ए १९५२

३. दि ओरिएन्टल इश्योरेन्स कं. लि. जरिए शाखा प्रबन्धक, सीता होटल के पीछे, झाँसी
...........बीमाकर्ता कार सं.एम.पी.३४ सी ए १९५२
----------विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री बलवीर पाली
विपक्षी सं. १ व २ के अधिवक्ता- श्री शमीम खान
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री ~~हरीशंकर वशिष्ठ~~ संजय कंचन

०१.११.२०२०

पत्रावली आज E-Lok Adalat में पेश हुयी। याचिया के विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी सं. ३ दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं।

याचिया व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुए सुलहनामा ३४बी पर याचिया व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। ३४बी सुलहनामा विगत नियत तिथि पर उभय पक्ष की उपस्थिति में न्यायाधिकरण द्वारा तस्दीक किया जा चुका है। ३४बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग ₹ ५,२०,००० याची को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा ३४बी की पुष्टि की गयी है तथा याचिया श्रीमती रुकिया सुलहनामा ३४बी में दर्शित कुल ₹ ५,२०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु तैयार है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचिया को देने हेतु सहमत हैं। अतः याचिका सुलहनामा ३४बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचिया की याचिका सुलहनामा ३४बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा ३४बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ ५,२०,००० (पांच लाख बीस हजार) मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.सी. सं. PUNB०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po@mactjhansi.in व po-mact.jh@up.gov. in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याचिया श्रीमती रुकिया २०% धनराशि आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगी तथा शेष धनराशि की तीन वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जाएगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Counsel for OP 3 corrected
vide order dated 04/11/2020

PO, MACT, Jhansi

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.11.04 13:47:51 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi